न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं.9/2018 (76 एलआरए) सोहनराम बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00080)

सोहनराम पुत्र श्री मिश्रीराम जाति विश्नोई, निवासी रामपुरा राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर फलोदी दिनांक 30.03.2017 अंतर्गत अपील सं. 47/2016 एवं तहसीलदार बाप के आदेश दिनांक 30.09.2016 अंतर्गत प्रकरण सं. 108/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।

2 रेस्पो. की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 12.11.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपर जिला कलेक्टर फलोदी के अपील सं. 47/2016 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामपुर राणेरी के खसरा नं. 437 भूमि अपीलार्थी के पिता के खातेदारी की है। इस खसरे के पड़ोस में ही स्थित खसरा नं. 440 रकबा 2 बीघा भूमि गैर मुमकिन मगरा स्थित है। अपीलार्थी के पूर्वज अपने खातेदारी की भूमि खसरा नं. 437 के चिपते खसरा नं. 440 की भूमि का उपयोग एवं उपभोग संवत 2012 से करते आ रहे हैं तथा कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलार्थी की रहवासीय ढाणी व टांका बना हुआ है जिसका वह निरंतर उपयोग व उपभोग करता आ रहा

12/11
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। अपीलार्थी को इस पुराने कब्जा व काश्त के आधार पर खसरा नं. 440 में से 05 बीघा भूमि अपीलार्थी को नियमन योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का सेटलमेंट से पूर्व से कब्जा व काश्त चला आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूल से उक्त भूमि मगरा दर्ज हो गई कानूनन उक्त भूमि अपीलार्थी के खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी। अपीलार्थी के पक्ष में नियमन होने योग्य भूमि होने के उपरांत भूमि को राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकिन मगरा मानते हुए तहसीलदार बाप द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित कर दिया तथा सिविल कारावास की सजा सुना दी जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जो अपील प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। अतः अपीलांट ने प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आदलत मातहतों ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का माकूल अवसर नहीं दिया एवं बिना कोई सहादत दर्ज किये जल्दबाजी में फैसला कर दिया। उस फैसले को निरस्त नहीं कर अपील खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। तहसीलदार ने केवल पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर ही फैसला कर दिया, पटवारी की रिपोर्ट अपने आप में स्वयं साबित नहीं मानी जा सकती, पटवारी के बयान न्यायालय में करवाये जाकर उससे जिरह करने का अवसर अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिंदु को पूर्ण रूप से नजरंदाज करते हुये फैसला कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज करते हुए उनकी बहस बताते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता को बहस हेतु कोई सूचना ही नहीं दी गई तथा बिना बहस किये ही उनकी उपस्थिति बताते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी को नियमन योग्य भूमि होने

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

के उपरांत तहसीलदार द्वारा धारा 91 की कार्यवाही किसी भी सूरत में चलने के काबिल ही नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी में इस भूमि के खातेदारी घोषणा बाबत नियमित वाद पेश कर दिया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। जब नियमति वाद की कार्यवाही संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है तो इस प्रकार की सरसरी कार्यवाही में सिविल कारावास की सजा पारित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए खातेदारी होने योग्य भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए आदेश देने में कानूनी भूल की है। जबकि वास्तव में अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए नियमन की सिफारिश के आदेश करने चाहिए थे। पटवारी ने जो रिपोर्ट तहसीलदर के समक्ष पेश की वह रिपोर्ट संबंधित पक्षकार को मौके पर बुलाये बिना उसकी गैर मौजूदगी में तैयार की गई एकतरफा एवं वेग रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट को अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता था। प्रथम अपील न्यायालय ने इस बिंदु को नजर अंदाज कर अपील खारिज करने में भारी भूल की है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस में यह भी निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब पेश किया था कि अतिक्रमण हटा लिया है इसलिए सिविल कारावास की कार्यवाही ड्रॉप की जावे। अतिक्रमण हटाने के बाद तहसीलदार ने कोई मौका रिपोर्ट भी नहीं मंगाई ऐसी स्थिति में सिविल कारावास जैसी कार्यवाही न्यायोचित नहीं हैं। तहसीलदार ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है वह जबाब पेश करने से पहले की है अतः उसका कोई महत्व नहीं हैं। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि विवादग्रस्त भूमि अपीलांट के खातेदारी के खसरे से चिपती होने के कारण कब्जा था जिसे अपीलांट ने हटा लिया है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि दिनांक 27.12.2017 को पुलिस थाना बाप ने अपीलार्थी को सूचना दी कि आपके विरुद्ध वारंट जारी हुआ है तब अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 28.12.2017 को प्राप्त हुई तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इस प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट सोहनराम का शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा-5 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार कर अपील मैरिट पर निस्तारण करने का निवेदन किया। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.03.2017 तथा तहसीलदार बाप का आदेश

दिनांक 30.09.2016 निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर होने से अपील खारिज की जावे। अपीलांट अतिक्रमी है। अपीलांट को तहसीलदार बाप ने पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा जबाब पेश किया गया कि उसने मौके पर से अतिक्रमण हटा लिया है परंतु दिनांक 30.09.2016 की मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने मौके पर से अतिक्रमण नहीं हटाया है। प्रथम अपील न्यायालय में भी अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर विधि अनुसार आदेश पारित किया है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए तथा मौका रिपोर्ट लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अतः मैरिट पर भी अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 प्रस्तुत अपील देरी से पेश की गई है तथा इस देरी को कंडोन करने के लिए अपीलांट की ओर से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट का कथन है कि दिनांक 27.12.2017 को पुलिस थाना बाप ने अपीलार्थी को पुलिस थाना बाप द्वारा सूचना दी कि आपके विरुद्ध वारंट जारी हुआ है तब अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 28.12.2017 को प्राप्त हुई तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इस प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट सोहनराम का शपथ पत्र भी पेश किया है। रेस्पोडेंट की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं किया गया व इसके खण्डन में कोई काउंटर शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अंदर मियाद शुमार करते हुए मैरिट पर निस्तारण करना न्यायोचित पाया जाता है।

इस प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाप के समक्ष अपीलांट ने दिनांक 27.09.2016 को आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 440 रकबा 2 बीघा पर उसका कब्जा पूर्व में प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है तथा आज की तारीख में उक्त भूमि पर मेरा कोई कब्जा नहीं है तथा किसी प्रकार का कोई अतिचार नहीं हैं। अतः कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया था। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में यह कथन किया है कि अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

न्यायालय ने इस तथ्य को नजरंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो न्यायोचित नहीं हैं। हमने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाप की पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट दिनांक 30.09.2016 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 30.09.2016 के अनुसार अतिक्रमी सोहनराम पिता मिश्रीराम जाति विश्नोई ने अतिक्रमण नहीं हटाया है। इस संबंध में अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क किया कि यह रिपोर्ट अप्रार्थी द्वारा जबाब पेश करने के पूर्व की है व इसे अप्रार्थी/अपीलांट की गैर मौजूदगी में तैयार किया गया है। मौके पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन असत्य प्रतीत होता है कि उसने मौके पर से कब्जा हटा लिया हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विवादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का दोषी माना है। इस दोष सिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं हैं अतः दोषसिद्धि की पुष्ठि की जाती है।

8 अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट ने वास्तव में मौके से कब्जा हटा लिया है। अतः सिविल कारावास में नरमी का रुख अपनाते हुए न्यायहित में अपीलांट को एक अंतिम अवसर देते हुए सिविल करावास के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया। हालांकि इस प्रकरण में अपीलांट के द्वारा कब्जा हटाने संबंधी जवाब दिनांक 27.09.2016 को पेश किया है तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.09.2016 की है जिसमें मौके पर कब्जा नहीं हटाया जाना पाया है। परंतु अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि वास्तव में कब्जा हटा लिया है। अतः इस प्रकरण में न्यायहित में अपीलांट को सुधरने का एक अंतिम अवसर देने के उद्देश्य से मैं उसकी सजा को आगे उल्लिखित शर्तों पर स्थगित किया जाना न्यायसंगत समझता हूं।

9 अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाप एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के निर्णय के जरिये की गई दोषसिद्धि एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है। किंतु सिविल कारावास की तीन माह की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार बाप स्वयं यह सुनिश्चित कर लेवें कि विवादग्रस्त आराजी से अपीलांट/अप्रार्थी ने अवैध कब्जा छोड़ दिया है यदि नहीं छोड़ा है तो इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा कब्जा छोड़ कर तहसीलदार बाप को विवादग्रस्त भूमि का कब्जा स्वयं सौंप दिया जावे तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसीलदार राज्य हित में उक्त अवधि में उक्त विवादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा इसका उल्लेख संबंधित पटवारी की घटना बही में भी कराया जावे। अपीलांट/अप्रार्थी उस पर पूर्व में आरोपित अर्थदण्ड को भी जमा कराना सुनिश्चित करेगा। अपीलांट/अप्रार्थी भविष्य में पुनः किसी भी राजकीय संपत्ति/भूमि पर कब्जा नहीं करेगा, इस बाबत तहसीलदार बाप के समक्ष इस आशय का शपथपत्र भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा। इनके अलावा अतिरिक्त पेनल्टी के बतौर रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) भी अप्रार्थी/अपीलांट को इस आदेश की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में तहसीलदार बाप के समक्ष राजकोष में जमा कराने होंगें। इन सब तथ्यों बाबत तहसीलदार बाप इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली में आदेशिका उल्लिखित करने के उपरांत अप्रार्थी की सजा को इस निर्णयानुसार स्थगित रख सकेगा। यदि अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा 30 दिवस की अवधि में उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है अथवा पुनः राजकीय संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जाता है तो तहसीलदार बाप इस निर्णय से स्थगित किये गए निर्णयों को प्रभावी मानकर अप्रार्थी/अपीलांट को नियमानुसार सजा भुगतायेगा तथा उसकी यह अपील पूर्णरूप से खारिज मानी जावेगी एवं सजा यथावत रहेगी।

12/11/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/11/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर